न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	36/2023
दायर दिनांक	:	17.07.2023
निर्णय दिनांक	:	03.03.2025

1. ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील व जिला दौसा
2. कान्ता देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील व जिला दौसा
3. प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील व जिला दौसा
4. संतरा देवी पुत्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम जीरोता कलां तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 236, 237, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है॰ ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2023 को करवा लिया गया है। प्रार्थीगण अपनी सीमाज्ञानशुदा आराजी की पत्थरगढी जरिए मौजूदगी तहसीलदार दौसा विधिपूर्ण तरीके से करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 236, 237, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है॰ वाके ग्राम जीरोता कलां तहसील दौसा का विधिसम्मत पत्थरगढी पुलिस सहायता से करवाने के आदेश तहसीलदार दौसा को फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand
Date: 2025.10.08 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम जिरोता कलां तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 236, 237, 240 कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested